

Hरत का राजपत्र The Gazette of India

जसाबारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी ३, २०१३/पौष १३, १९३४

No. 71

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2013/PAUSA 13, 1934

परमाणु कर्जा विभाग अधिसूचना

मुंबई, 21 दिसम्बर, 2012

सा.का.मि. 7(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परमाणु ऊवाँ विभाग के भागा अनुसंधान केन्द्र में निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) के पद पर पतीं की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु :—

- 1. संक्रिप्त भाम और ग्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्रिप्त नाम परमाणु कर्जा विभाग निदेशक (सुरक्ता और समन्वयन, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेंतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेर्तनमान,—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. **पतीं की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं, आदि,—**उक्त पद पर पतीं की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. आरॉभक गठन.— अनुसूची में विनिर्देस्ट ऐसे पदघारी जो विभाग के कार्यालय द्वापन सं. 26/10(4)/97-सीसीएस/134, तारीख 23 फरवरी, 2000 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पद को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पद को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) के रूप में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोन्नित, पुष्टि और पेंशन के लिए परियोक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिख जाएगा।
 - 5. निरहता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विचाह किया है या विचाह की संविदा की है; उक्त पर पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पश्चकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से हूट दे सकेगी ।

- 6. शिक्षिल करने की शक्ति.—अहां केन्द्रीय सरकार की यह एय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखनद करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. च्यावृत्तिः—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, मृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीघे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (सुरक्षा और	1* (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	वेतन बैंड -4 ; 37400-67100 रू0 +	चयन	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं ।
समन्त्रयन)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	ग्रेड वेतन 8900 रु०		

सींघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक	और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	. लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

- 0 10- Pa A - A - A - B I	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	प्रीम्नित/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा मती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रीन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	i
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नित :
प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो	
सकने पर सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन	ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू० + ग्रेड वेतन 7600 रू० की श्रेणी में छह वर्ष
द्वारा ।	की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।
	प्रतिनियुक्ति :
	भारतीय पुलिस सेवा काडर से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अन्य सदृश सेवाओं या संगठनों से ऐसे अधिकारी जो
	सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए हैं या उससे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 रू0 में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक
	सेवा कर ज़ी है।
1	
	सीधी मर्ती/पुनर्नियोजन :
	संस्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध सेवाओं या संगठनों से सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी जो सदृश श्रेणी में पदधारण किए हुए थे

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—Sec. 3(i)]

या उत्तरे ठीक निम्नतर श्रेणी में ग्रेड वेतन 8700 रु0 में न्यूनतम दो वर्ष अर्हक सेवा कर ली थी ।

टिप्पण 1 : प्रोन्नित के तिए पात्रता अवधि की संगणना करने के तिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी !

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिविक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 4 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगां।

टिप्पण 5 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे/इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 6 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी था किसी अन्य संगठन/विभाग में इस
	नियुक्ति से टीक पहले घारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है. साधारणतया 4 वर्ष से
	अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख
	को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
,	- '
	<u> </u>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामा किया जाएगा					
(12)	(13)					
 सिचंद, परमाणु ऊर्जी विभाग - अध्यक्ष निदेशक, भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य सुसंगत विद्या विशेष का विशेषज्ञ जिसे सचिव, 	लागू नहीं होता					
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य 6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नामनिर्देशिती - सदस्य						

[सं. 26/1(1)/2009-सीसीएस/1046] स्वाति पाण्डेय, निर्देशक

स्मन्दीकारक ज्ञापन :-- परमाणु ऊर्जा विभाग अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 26/10(4)/97-सीसीएस/134 तारीख 23 फरवरी. 2000 के उपबंधों के अनुसार माभा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन) की नियुक्ति करेगा ऐसा आरंभिक गठन इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा को जारी रखने के लिए अपेक्षित है। इस आरंभिक गठन के उपबंध करने से और इन नियमों के उपबंधों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ रहा है।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2012

- G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Security and Co-ordination), Bhabha Atomic Research Centre in the Department of Atomic Energy, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Director (Security and Co-ordination, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and the pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Initial Constitution.—The incumbents of the posts specified in the Schedule holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM No. 26/10(4)/97-CCS/134, dated 23rd February, 2000 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as Director (Security and Co-ordination) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.
 - 5. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

554113-2

Name of the Post,	Number of Post.	Classifi- cation.	Pay Bend and Orade Pay/ Pay scale.	Whether selection Post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifica- tions required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotoes.		Method of Recruitment, whether by direct tecruitment or by appropriation or by departion and recruitage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee/ Sciention Committee exists what is its composition.	Circustata nos in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit-ment.
Director (Security and Co- ardinations)	(2) (20) 21 (20) 22 (20) 3uhject to variation depending on workload	General Central Service Group- 'A'-Oazetted (Non- Ministerial)	89 Band-4 Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8900/	(5) Selection	Not exceeding So years as on the closing date of the receipt of application	(7) Not applicable	(8) Not applicable	(9) Not applicable	(10) Protection fading which Deputation and fabing both Direct Recruitment / re-employment	Promotion: Chief Security Officers in PB-3 Ra 15600. 39100 - Rade Pay Rt. 7600 who have completed air years of qualifying service in the grade. Deputation: Officers from Indian Police Service Cadre or officers from other analogous services or organisations related to national security holding posts in analogous grade or in the immediate lower grace having grade only of Re. 8700 with minimum qualifying service of two years Direct Recruitment/Re-employment: Officers retired from officers retired from officers retired from services of the present of the pr	112) 1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairman 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre - Member 3. Additional Secretary - Department of Atomic Energy - Member 4. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy - Member 5. Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy - Member 6. Department of Personnel and Training nominee - Member	(13) Not applicable

Ec. 3(i)]

						to national security and were holding posts in analogous pract or in the insuadiate lower grade baving grade pay of Ra.2700 with minimum qualifying across of two years	(O) Company
					·	Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1* January of the secancy year. Nose 2: Where juniors	
						who have completed their qualifying or chighthity service are being concidered for granotion, their sexious would also be consistered provided they are not abort of	म्झत्व का
		·				the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or rea years whichever is less, and have successfully completed their probation period for	inshire : KANO
	·					promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have elessly completed such qualifying or eligibility service.	
						purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by six officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised	
						per structure based on the 6th Control Pay Commission recommendations has been extended, shall	7

			 -								be doemed to be	
	[ĺ	į		ļ	İ				ı	service relatered in the	. ↓
			Į								corresponding grade	
	1 1	1									pay/pay scale estended based on the	
			i								recontractidations of	
		Ì									the Commission. For	
]]	1			}]				Intribones of	}
)	ì			j .						appointment on	
	}	j	i '		i						deputation/shaorprion	}
	j j	· i			1		}		·		basis, the service	}
	} i	1			}		<u> </u>		'		rendered on a regular basis by an officer	
	} 1	·			1		1				prior to 1.1.2006/the	1
	!			,	, ,		ł .			1	date from which the	•
	4				1						revised pay attracture	
	{		;		([based on the 6th	
	}				ļi		ł				Central Pay	1
	1			İ			,	ļ			Camminsion	
	!						(ĺ		recommendations has been extended, shall	ĺ
	t · 1						ł				be deemed to be	Į.
	[[1		į			service rendered in the	
		ĺ	į .		j i		Ì		,		corresponding grade	
					}		}		ì		pay/pay acale]
	1]		}		}	ļ i)		extended based on the]
	ĺ	'	} ,) '						recommendations of	}
	Ì		1				}	i j	<u>'</u>		the Containsion except where there has	}
	}	<u> </u>	 	}	 	ļ	ļ			<u></u>	been energer of more	
	1	·	1	•			1)		than one pre-revised	
	}		1	1			ì		}		scale of pay into one	. 1
	}		}	[<u> </u>		1	,	1		grade with a common	· 1
	}		\$		i		ł		}		grade pay/pay scale, and where this benefit	{
	1	}	ţ	ļ	<u> </u>		}	, '			will extend only for the	
	\		}					1	ţ		postisi for which that	
	1	ţ	ļ	•	(ļ		į.		grade pay/pay scale is	
	į	ł	1	Į	į,		Į.			ļ	the normal	
	ŧ.	l	•	{			(ĺ,	Į.	į	replacement grade	l l
	i	Į.	į	Į	ł		Į.	ļ i	ł		without any upgradation.	į (
	1	1	1	ĺ	į .	į	ĺ	!	1	ì .	apgradition.	i
	(1		[i		ł		1		Note 4: The selection	1
	1		1		ľ				[will involve interview	
	1	1]	}]		1]	1	}	of the candidates.	1
	}	1	1	1	l	Ì	}	Ì]]
	1	1	1	}]]]		Ì	Ì	Horn 5: The]
	1	ì	1	ì)	} .	1	1	1		Department officers in the feeder category	j
	1	1	1	1	1		1	})	}	who are in the direct	1
	1	1	}	1	[}	1	}	1		line of promotion will	•
	1	1	ſ	1	ì	1	1	1	l .	}	not be eligible for	•
	}	į.		{	ſ	l .	1		1		consideration for	{
•	1	1	}	!	ļ	•	Į.	<u> </u>	Į.	į į	appointment on	
	L		<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	deputation. Similarly	
												.*

55 5013-3		•			·	deputationsists shall not be sligible for consideration for appainment by promotion. Note 6: Period of deputation in another ex-ratre post held immediately preceding this appaintment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall continue the same of the contral deputation appaintment by deputation appaintment by deputation shall not	
-						deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.	

[No. 26/1(1)/2009-CCS/1046]

SWATT PANDEY, Director

Emphasizery Removements: The Department of Atomic Energy made the appointments of Director (Security and Co-ordination) in Shabba Atomic Research Centre in accordance with the provisions of its Office Memorandum No.26/10/91/97-CCS/134 dated February 23, 2000. As such the initial constitution and retrospective effect to the provisions of these rules being made by this Department. By providing this initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules according the rules according the initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules according to the rules according